न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश जिला ग्वालियर

प्रकरण 2014...15 निगरानी

निगरानी 2339-PBR-15

सुखलाल सिह पुत्र स्व सोहन सिह आयु 78वर्ष व्यवसाय कुछ नही निवासी चौडे का हनुमान मन्दिर के सामने शर्मा फार्म रोड चार शहर का नाका ग्वालियर म. प्र ....प्रतिप्रार्थी

बनाम

श्रीमती ममता यादव पत्नी श्री होतमसिंह यादव

पुत्री श्री महेंन्द्रसिंह निवासी क्यू ब्लाक प्लाट न112

ए शताब्दीपुरम पार्क के सामने ग्वालियर म प्र

.......प्रार्थीनी

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म प्र भू राजस्व संहिता विरूद्व आदेश दिनांक12.06.2015 प्रकरण कमाक 30/2013.14 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2339–पीबीआर/15 **जिला ग्वालियर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–8–2015	आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–6–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया विधिसंगत है कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक को नामान्तरण की सूचना नहीं दी गई है, जिस कारण नामान्तरण नियम 27 का उल्लंघन हुआ है । तहसीलदार द्वारा बटवारा आदेश के बाद नामान्तरण आदेश पारित किया गया है जिसकी सूचना अनावेदक को होना सिद्ध नहीं है । अतः अनावेदक द्वारा जो जानकारी आदेश की होना बताई गई है और जिसके संबंध में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है तथा शपथपत्र का खण्डन नहीं किया गया है, ऐसे शपथ पत्र पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर विलम्ब क्षमा करने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	